Bundelkhand Journal of Academic Research

भारत में वित्तीय प्रौद्योगिकी के माध्यम से वित्तीय समावेशन का विश्लेषणात्मक अध्ययन

डॉ. धर्मेन्द्र यादव

असिस्टेंट प्रोफेसर (अर्थशास्त्र), राजकीय पी. जी. कॉलेज सांगीपुर, प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश।

(**Corresponding Author:** 198622dharmendrakumar@gmail.com)

https://doi.org/10.5281/zenodo.23005530

सारांश

यह शोध पत्र भारत में वित्तीय समावेशन के प्रसार और सुदृढ़ीकरण में वित्तीय प्रौद्योगिकी तथा डिजिटल क्रांति के प्रभावी योगदान का एक गहन विश्लेषणात्मक मूल्यांकन प्रस्तुत करता है। भारत जैसे विशाल, बहुआयामी और अत्यधिक जनसंख्या वाले देश में समाज के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक सुलभ, त्वरित और सस्ती बैंकिंग सेवाएं पहुँचाना सदैव से एक जटिल नीतिगत एवं ढांचागत चुनौती रहा है। पारंपरिक बैंकिंग प्रणालियों की भौगोलिक और परिचालन संबंधी सीमाओं को दूर करने में आधुनिक तकनीकों ने क्रांतिकारी परिवर्तन किया है। एकीकृत भुगतान इंटरफेस, प्रधानमंत्री जनधन योजना, डिजिटल वॉलेट्स, सूक्ष्म एटीएम तथा बैंकिंग कॉरेस्पोंडेंट मॉडल जैसे डिजिटल नवाचारों ने देश के सुदूर ग्रामीण और अर्ध–शहरी क्षेत्रों तक औपचारिक वित्तीय सेवाओं का विस्तार करने में अभूतपूर्व भूमिका निभाई है। अध्ययन प्राथमिक एवं द्वितीयक आंकड़ों के सूक्ष्म सम्मिश्रण पर आधारित है, जिसके अंतर्गत जमीनी स्तर के अनुभवों और संस्थागत रिपोर्टों का समग्र विश्लेषण किया है। अध्ययन के निष्कर्ष यह स्पष्ट करते हैं कि डिजिटल भुगतान प्रणालियों के आगमन से न केवल आम नागरिकों की वित्तीय तंत्र तक पहुँच में वृद्धि हुई है, बल्कि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण जैसी पारदर्शी व्यवस्था से बिचौलियों की भूमिका भी समाप्त हुई है। शोध यह भी उजागर करता है कि पूर्ण और सर्वसमावेशी वित्तीय सशक्तिकरण के मार्ग में अभी भी कई व्यावहारिक बाधाएं विद्यमान हैं। ग्रामीण आबादी में डिजिटल वित्तीय साक्षरता की कमी, सुदूर क्षेत्रों में कमजोर नेटवर्क कनेक्टिविटी, तकनीकी त्रुटियाँ और साइबर धोखाधड़ी व डिजिटल ठगी का निरंतर भय आम नागरिकों को इन सेवाओं के पूर्ण उपयोग से पीछे धकेलता है। अंततः यह शोध पत्र भारत की समावेशी आर्थिक वृद्धि को गति देने के लिए एक सुरक्षित, बहुभाषी और सुदृढ़ डिजिटल वित्तीय पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण हेतु ठोस नीतिगत सुधारों तथा उपभोक्ता सुरक्षा उपायों के व्यावहारिक सुझाव प्रस्तुत करता है।

आलेख सूचना

प्राप्त: 11 अगस्त, 2026 **स्वीकृत:** 23 अगस्त, 2026 **प्रकाशित:** 30 सितंबर, 2026

सारणी: 02 **चित्र एवं ग्राफ:** 00 **स्रोत एवं संदर्भ:** 11

मुख्य शब्द: समावेशन, वित्तीय प्रौद्योगिकी, डिजिटल क्रांति, भुगतान इंटरफेस, डिजिटल साक्षरता।

1. परिचय एवं पृष्ठभूमि : वित्तीय समावेशन आधुनिक अर्थशास्त्र और विकासपरक नीतियों का एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्तंभ है। इसका मूल उद्देश्य समाज के प्रत्येक वर्ग, विशेष रूप से आर्थिक रूप से कमजोर, वंचित, पिछड़े तथा निम्न आय वाले समूहों को बिना किसी भेदभाव के उचित, पारदर्शी और किफायती दर पर समयबद्ध वित्तीय सेवाएं उपलब्ध कराना है। इन वित्तीय सेवाओं के अंतर्गत केवल एक साधारण बचत बैंक खाता खोलना ही शामिल नहीं है, बल्कि इसके दायरे में सुरक्षित जमा योजनाएं, आवश्यकतानुसार सुलभ ऋण सुविधा, जीवन व संपत्ति बीमा सुरक्षा, त्वरित एवं विश्वसनीय भुगतान माध्यम तथा भविष्य की सामाजिक सुरक्षा के लिए पेंशन योजनाएं जैसी मौलिक सुविधाएं भी आती हैं। जब समाज का गरीब से गरीब व्यक्ति भी इन औपचारिक वित्तीय साधनों से जुड़ता है, तो न केवल उसकी आर्थिक स्थिरता मजबूत होती है, बल्कि देश की मुख्यधारा की अर्थव्यवस्था को भी एक नई दिशा और गति मिलती है। ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो भारत जैसे विशाल और भौगोलिक विविधताओं से भरे देश में शत–प्रतिशत वित्तीय समावेशन हासिल करना एक अत्यंत दुष्कर कार्य रहा है। पारंपरिक बैंकिंग प्रणाली मुख्य रूप से ईंट–पत्थर से बनी भौतिक शाखाओं पर निर्भर थी। दूरदराज के ग्रामीण, पहाड़ी और आदिवासी क्षेत्रों में ऐसी बैंक शाखाएं खोलना और उनका संचालन करना वित्तीय संस्थानों के लिए अत्यधिक लागत भरा और अव्यवहारिक सौदा साबित होता था।

इसके साथ ही, कागजी कार्रवाई की जटिलता, न्यूनतम जमा राशि की बाध्यता, साक्षरता की कमी और बैंक शाखाओं तक पहुँचने में लगने वाले समय व धन के कारण ग्रामीण आबादी का एक बड़ा हिस्सा औपचारिक बैंकिंग प्रणाली से पूरी तरह कटा रहा। इसके परिणामस्वरूप, अपनी आपातकालीन और दैनिक वित्तीय जरूरतों के लिए आम नागरिकों को असंगठित क्षेत्र के साहूकारों और बिचौलियों पर निर्भर रहना पड़ता था, जो उनका भारी आर्थिक शोषण करते थे।

हालांकि, पिछले एक दशक के दौरान भारत ने एक ऐतिहासिक और व्यापक डिजिटल क्रांति का अवलोकन किया है, जिसने देश के वित्तीय परिदृश्य को पूरी तरह से बदलकर रख दिया है। वित्तीय प्रौद्योगिकी के अभूतपूर्व उदय ने पारंपरिक बैंकिंग की अवधारणा और कार्यशैली को नए सिरे से परिभाषित किया है। इस परिवर्तन का सबसे बड़ा आधार 'जनधन, आधार और मोबाइल' जैम की त्रिमूर्ति, किफायती स्मार्टफोन की उपलब्धता, विश्व में सबसे सस्ता इंटरनेट डेटा और भारत का मजबूत 'डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर' बना है। इस तकनीकी परिवर्तन ने बैंकिंग सेवाओं को बैंक की भौतिक इमारतों और लंबी कतारों से निकालकर आम नागरिक के मोबाइल फोन यानी उसकी उंगलियों के पोरों तक पहुँचा दिया है। आज देश के सुदूर गाँव में बैठा किसान या एक छोटा रेहड़ी–पटरी विक्रेता भी बिना किसी जटिल कागजी प्रक्रिया के पल भर में लेन–देन करने, सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ अपने खाते में प्राप्त करने और बचत करने में सक्षम हुआ है। डिजिटल क्रांति ने न केवल दूरियों और परिचालन लागत को समाप्त किया है, बल्कि अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति में एक नए आर्थिक आत्मविश्वास और स्वावलंबन का संचार भी किया है।

1.1. शोध की प्रासंगिकता: डिजिटल युग में भारत की आर्थिक वृद्धि दर को टिकाऊ और समावेशी बनाने के लिए वित्तीय प्रौद्योगिकी–आधारित वित्तीय समावेशन का अध्ययन अत्यंत प्रासंगिक है। वैश्विक महामारी के बाद से डिजिटल लेनदेन में कई गुना वृद्धि हुई है, जिससे प्रत्यक्ष लाभ अंतरण जैसी सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन पारदर्शी और त्वरित हुआ है। तथापि, केवल खाता खोलना या डिजिटल मंच उपलब्ध होना ही वास्तविक समावेशन नहीं है। वास्तविक समावेशन तब माना जाएगा जब अंतिम छोर पर खड़ा व्यक्ति नियमित रूप से इन सेवाओं का सुरक्षित और सक्षम उपयोग कर सके। प्रस्तुत अध्ययन यह समझने में मदद करता है कि वित्तीय प्रौद्योगिकी प्रणालियाँ किस हद तक जमीनी स्तर पर आर्थिक विषमता को कम करने में सफल रही हैं तथा किन क्षेत्रों में अभी भी सुधारात्मक कदमों की आवश्यकता है।

1.2. शोध के उद्देश्य: डिजिटल युग में वित्तीय समावेशन की वास्तविक स्थिति और जमीनी पहुंच को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझने के लिए प्रस्तुत अध्ययन में निम्नलिखित उद्देश्यों को विश्लेषित किया है।

1. भारत में ग्रामीण एवं दूरस्थ क्षेत्रों के अंतिम व्यक्ति तक वित्तीय सेवाएं पहुँचाने में वित्तीय प्रौद्योगिकी की प्रभावशीलता का विश्लेषण करना।
2. वित्तीय प्रौद्योगिकी द्वारा संचालित वित्तीय समावेशन प्रक्रिया में आने वाली सामाजिक, तकनीकी और सुरक्षात्मक बाधाओं की पहचान करना।
3. भारत में समावेशी एवं सतत डिजिटल वित्तीय पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण हेतु व्यावहारिक नीतिगत सुझाव प्रस्तुत करना।

2. साहित्य समीक्षा: वित्तीय प्रौद्योगिकी तथा डिजिटल बैंकिंग के क्षेत्र में पूर्ववर्ती विद्वानों एवं शोधकर्ताओं द्वारा किए गए प्रमुख अध्ययनों का संक्षिप्त समीक्षात्मक विवरण प्रस्तुत किया गया है, जो विषय की सैद्धांतिक पृष्ठभूमि को सुदृढ़ करता है।

शर्मा और जोशी (2015) ने भारत में पारंपरिक बैंकिंग की सीमाओं का अध्ययन किया और निष्कर्ष निकाला कि भौतिक बैंक शाखाओं का विस्तार उच्च परिचालन लागत के कारण अंतिम व्यक्ति तक पहुँचने में असमर्थ रहा है। रेड्डी (2016) ने अपने अध्ययन में इन्होंने मोबाइल बैंकिंग की प्रारंभिक अवस्था का विश्लेषण किया और पाया कि बुनियादी फोन और सीमित नेटवर्क उपलब्धता ग्रामीण क्षेत्रों में अपनाने में मुख्य बाधक थे। कुमार और सिंह (2017) ने प्रधानमंत्री जनधन योजना के प्रभाव का आकलन किया और बताया कि शून्य–शेष खातों ने वित्तीय समावेशन की नींव तो रखी, लेकिन इनका निष्क्रिय रहना एक बड़ी चुनौती बना रहा।

गुप्ता (2018) ने विमुद्रीकरण के बाद भारत में डिजिटल वॉलेट्स और वित्तीय प्रौद्योगिकी उद्यमों के तेजी से उभार का विश्लेषण किया तथा दिखाया कि शहरी मध्यम वर्ग में इसे तेजी से अपनाया गया। मुखर्जी और दास (2019) के शोध ने स्पष्ट किया कि आधार–आधारित भुगतान प्रणाली ने ग्रामीण क्षेत्रों में नकदी निकासी को सुगम बनाकर प्रत्यक्ष लाभ अंतरण में बिचौलियों की भूमिका को समाप्त किया है। वर्मा (2020) ने एकीकृत भुगतान इंटरफेस के तकनीकी ढांचे का अध्ययन किया और निष्कर्ष निकाला कि इसकी अंतर–संचालनीयता और शून्य–शुल्क मॉडल ने सूक्ष्म–लेनदेन को अत्यधिक बढ़ावा दिया। रॉय और चौधरी (2021) ने वैश्विक महामारी के दौरान वित्तीय प्रौद्योगिकी की भूमिका पर केंद्रित अध्ययन में पाया गया कि महामारी ने असंगठित क्षेत्र के मजदूरों और छोटे व्यापारियों को डिजिटल भुगतान अपनाने के लिए प्रेरित किया।

मिश्रा (2022) ने महिला स्वयं सहायता समूहों पर वित्तीय प्रौद्योगिकी के प्रभाव का मूल्यांकन किया और पाया कि डिजिटल साक्षरता में वृद्धि से ग्रामीण महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण में तेजी आई है। पटेल और शाह (2023)

के अध्ययन ने वित्तीय प्रौद्योगिकी के सामने मौजूद साइबर सुरक्षा, धोखाधड़ी और डिजिटल ठगी के जोखिमों को रेखांकित किया, जो डिजिटल रूप से अशिक्षित उपभोक्ताओं के लिए बड़ा खतरा हैं। राव (2024) ने अपने हालिया शोध में इन्होंने निष्कर्ष निकाला कि वित्तीय प्रौद्योगिकी और पारंपरिक बैंकों का सह–अस्तित्व ही भारत में स्थायी और सुरक्षित वित्तीय समावेशन का एकमात्र व्यावहारिक मार्ग है।

2.1. शोध अंतरालः उपलब्ध विषयगत साहित्य के गहन अनुशीलन के उपरांत जिन महत्त्वपूर्ण व्यावहारिक व भौगोलिक पहलुओं पर पर्याप्त ध्यान केंद्रित नहीं हो सका है, उन्हीं कमियों एवं शोध–अंतरालों को रेखांकित कर अध्ययन का आधार निर्मित किया है।

a. अधिकांश मौजूदा साहित्य राष्ट्रीय या राज्य स्तरीय आंकड़ों पर केंद्रित है, जबकि दूरस्थ आदिवासी और पहाड़ी क्षेत्रों के अंतिम व्यक्ति की डिजिटल व्यवहार संबंधी विशिष्ट अध्ययन कम उपलब्ध हैं।
b. पूर्ववर्ती शोध मुख्य रूप से वित्तीय खाता खोलने या अनुप्रयोग की संख्या पर ध्यान केंद्रित करते हैं, लेकिन इन खातों के नियमित और दीर्घकालिक उपयोग का विस्तृत विश्लेषण पर्याप्त नहीं है।
c. वित्तीय प्रौद्योगिकी अपनाने में साइबर धोखाधड़ी के डर और उपभोक्ता मनोविज्ञान के प्रभाव पर केंद्रित अनुभवजन्य शोध की अभी भी कमी है।

3. शोध पद्धतिः प्रस्तुत अध्ययन में शोध के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए विवरणात्मक और विश्लेषणात्मक शोध अभिकल्प का समन्वित रूप से प्रयोग किया है। यह दृष्टिकोण फिनटेक के माध्यम से वित्तीय समावेशन की वास्तविक स्थिति का निष्पक्ष एवं सटीक मूल्यांकन करने में अत्यंत सहायक सिद्ध होता है। अध्ययन की मौलिकता और विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए प्राथमिक और द्वितीयक दोनों प्रकार के आंकड़ों का समुचित उपयोग किया गया है। प्राथमिक आंकड़ों के संग्रहण हेतु उत्तर प्रदेश के ग्रामीण एवं अर्ध–शहरी क्षेत्रों से 200 उत्तरदाताओं का चयन किया गया, जिनमें मुख्य रूप से छोटे व्यापारी, सीमांत किसान और दैनिक वेतनभोगी मजदूर शामिल हैं। इन उत्तरदाताओं से सूचनाएं प्राप्त करने के लिए एक सरल और स्पष्ट संरचित प्रश्नावली का प्रयोग किया गया। इसके अतिरिक्त, विषय की गहराई को समझने और व्यापक परिदृश्य का विश्लेषण करने के लिए द्वितीयक आंकड़ों का भी सहारा लिया गया है। नमूनों के चयन प्रक्रिया को व्यावहारिक और उद्देश्यपूर्ण बनाने के लिए सुविधा एवं सप्रयोजन नमूना चयन विधि का पालन किया गया है, जिससे लक्षित वर्ग का सही प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हो सके।

4. आंकड़ों का विश्लेषण और व्याख्याः वित्तीय प्रौद्योगिकी ने मोबाइल, इंटरनेट और यूपीआई जैसे डिजिटल माध्यमों के जरिए बैंकिंग सेवाओं से वंचित लोगों को मुख्य वित्तीय प्रणाली से जोड़कर वित्तीय समावेशन को तेजी से बढ़ाया है। वित्तीय समावेशन का अर्थ समाज के हर व्यक्ति को बैंक खाता, ऋण, बचत और बीमा जैसी वित्तीय सेवाएं कम लागत पर देना है। वित्तीय प्रौद्योगिकी का मतलब ऐसी तकनीक या ऐप्स से है जो वित्तीय कामों को आसान बनाते हैं।

तालिका–1: उत्तरदाताओं द्वारा प्रयुक्त वित्तीय प्रौद्योगिकी/डिजिटल वित्तीय सेवाओं का वितरण

क्रम	वित्तीय सेवा/उपकरण	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत
1.	एकीकृत भुगतान इंटरफेस अनुप्रयोग	116	58.0
2.	आधार सक्षम भुगतान प्रणाली/माइक्रो एटीएम	44	22.0
3.	मोबाइल बैंकिंग/नेट बैंकिंग	22	11.0
4.	केवल पारंपरिक बैंक शाखा	18	9.0
	कुल (एन= 200)	**200**	**100**

स्रोतः प्राथमिक सर्वेक्षण आंकड़े (2025–26)

तालिका–1 दर्शाती है कि 58 प्रतिशत उत्तरदाता दैनिक लेनदेन के लिए एकीकृत भुगतान इंटरफेस का उपयोग कर रहे हैं, जो इसकी सुलभता और लोकप्रियता को साबित करता है। 22 प्रतिशत लोग, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में नकदी निकासी के लिए आधार सक्षम भुगतान प्रणाली पर निर्भर हैं। मात्र 9 प्रतिशत उत्तरदाता ऐसे हैं जो किसी भी डिजिटल सेवा का उपयोग न करके केवल पारंपरिक बैंकिंग शाखा पर निर्भर हैं। यह स्पष्ट करता है कि वित्तीय प्रौद्योगिकी ने बड़े पैमाने पर अंतिम व्यक्ति तक अपनी पहुँच बनाई है।

तालिका–2: डिजिटल वित्तीय सेवाओं के उपयोग में प्रमुख बाधाएँ एवं चुनौतियाँ का वितरण

क्रम	प्रमुख बाधा/चुनौती	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत
1.	डिजिटल वित्तीय साक्षरता एवं जागरूकता की कमी	78	39.0
2.	साइबर धोखाधड़ी और सुरक्षा का भय	54	27.0
3.	खराब नेटवर्क कनेक्टिविटी एवं तकनीकी त्रुटि	42	21.0
4.	भाषा की जटिलता	26	13.0
	कुल (एन= 200)	**200**	**100**

स्रोतः प्राथमिक सर्वेक्षण आंकड़े (2025–26)

तालिका–2 के अनुसार, 39 प्रतिशत उत्तरदाताओं के लिए डिजिटल वित्तीय साक्षरता की कमी सबसे बड़ी चुनौती है। 27 प्रतिशत लोग सुरक्षा और साइबर धोखाधड़ी के डर से पूरी तरह डिजिटल होने से झिझकते हैं। 21 प्रतिशत लोग बुनियादी ढांचे से प्रभावित हैं, जबकि 13 प्रतिशत लोग क्षेत्रीय भाषाओं में अनुप्रयोग उपलब्ध न होने के कारण कठिनाई का सामना करते हैं।

5. परिणाम एवं परिचर्चा: प्रस्तुत शोध अध्ययन के निष्कर्ष यह स्पष्ट रूप से रेखांकित करते हैं कि भारत में वित्तीय प्रौद्योगिकी और डिजिटल क्रांति ने वित्तीय समावेशन की पूरी अवधारणा को एक नया आयाम दिया है। ऐतिहासिक रूप से जो बैंकिंग प्रणाली केवल शहरों और भौतिक बैंक शाखाओं की सीमाओं तक सीमित थी, वह अब प्रौद्योगिकी के समावेशन से दूरदराज के ग्रामीण इलाकों में अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति की पहुँच में आ चुकी है। प्राथमिक आंकड़ों का विश्लेषण (तालिका–1) यह सिद्ध करता है कि 80 प्रतिशत से अधिक आबादी (58 प्रतिशत एकीकृत भुगतान इंटरफेस तथा 22 प्रतिशत आधार सक्षम भुगतान प्रणाली) दैनिक वित्तीय गतिविधियों के लिए किसी न किसी डिजिटल माध्यम पर निर्भर हो चुकी है। यह परिवर्तन यह दर्शाता है कि एकीकृत भुगतान इंटरफेस और आधार–आधारित प्रणालियों ने भौगोलिक दूरी, कागजी औपचारिकताओं और बैंकिंग शाखाओं में लगने वाले समय की बाध्यता को समाप्त कर दिया है। तथापि, शोध का सबसे महत्वपूर्ण विश्लेषणात्मक पहलू यह उजागर करता है कि केवल वित्तीय सेवाओं तक 'पहुँच होना' और उनका 'सक्षम एवं नियमित उपयोग होना' इन दोनों स्थितियों के बीच अभी भी एक बड़ा अंतर विद्यमान है। यद्यपि डिजिटल क्रांति ने खाता खोलने और सूक्ष्म–लेनदेन करने को सुगम बना दिया है, लेकिन व्यावहारिक धरातल पर कई गंभीर चुनौतियाँ (तालिका–2 के अनुसार) व्यवस्था को पूरी तरह सफल होने से रोक रही हैं।

चर्चा का पहला प्रमुख बिंदु डिजिटल वित्तीय साक्षरता की कमी (39 प्रतिशत) है। ग्रामीण और अर्ध–शहरी क्षेत्रों में कई उपभोक्ता स्मार्टफोन और डिजिटल अनुप्रयोग रखना तो सीख गए हैं, परंतु वे उनके तकनीकी तंत्र, सुरक्षा नियमों और दूरगामी वित्तीय नियोजन (जैसे ऋण, बीमा या पेंशन) से पूरी तरह अनभिज्ञ हैं। इसके परिणामस्वरूप, लोग डिजिटल सेवाओं का प्रयोग केवल साधारण लेनदेन या आपातकालीन नकदी निकासी तक सीमित रखते हैं। दूसरा अति–संवेदनशील बिंदु साइबर धोखाधड़ी और सुरक्षा का भय (27 प्रतिशत) है। असंगठित क्षेत्र के मजदूरों, छोटे व्यापारियों और सीमांत किसानों के लिए उनकी गाढ़ी कमाई का एक–एक रुपया अत्यंत मूल्यवान होता है। डिजिटल ठगी, फर्जी फोन कॉल्स और वित्तीय धोखाधड़ी की बढ़ती घटनाओं ने इस वर्ग के मन में एक गहरा अविश्वास पैदा किया है। जब तक उपभोक्ता के मन में यह विश्वास कायम नहीं होगा कि उनका धन डिजिटल माध्यम में पूरी तरह सुरक्षित है, तब तक वे पूर्ण रूप से डिजिटल अर्थव्यवस्था से जुड़ने में हिचकिचाते रहेंगे। तीसरा विषय तकनीकी एवं बुनियादी ढांचे की सीमाएं (21 प्रतिशत नेटवर्क कनेक्टिविटी समस्या तथा 13 प्रतिशत भाषाई जटिलता) हैं। दूरस्थ और पहाड़ी क्षेत्रों में कमजोर इंटरनेट सिग्नल, बार–बार लेनदेन का विफल होना और स्थानीय भाषाओं में डिजिटल अनुप्रयोगों का सहजता से उपलब्ध न होना भी एक बड़ा रोड़ा है।

इस तरह भारत में वित्तीय समावेशन का पहला चरण अर्थात 'बैंक रहित आबादी तक डिजिटल पहुँच बनाना' काफी हद तक सफल रहा है। परंतु समावेशन का दूसरा और अधिक महत्वपूर्ण चरण अर्थात 'उपभोक्ताओं को सुरक्षित, साक्षर और आत्मनिर्भर बनाना' अभी भी अधूरा है। इस खाई को पाटने के लिए नीति निर्माताओं, वित्तीय संस्थानों और फिनटेक कंपनियों को केवल बुनियादी ढांचे के विस्तार पर ही नहीं, बल्कि जन–साधारण के बीच सुरक्षात्मक जागरूकता और उपभोक्ता विश्वास के निर्माण पर विशेष ध्यान केंद्रित करना होगा।

6. सुझाव एवं अनुशंसाएं : वित्तीय प्रौद्योगिकी (फिनटेक) के माध्यम से समाज के वंचित और दूरदराज के वर्गों तक वित्तीय सेवाओं को पहुँचाना ही वित्तीय समावेशन का सबसे प्रभावी माध्यम है। हालांकि इसके प्रभाव को बढ़ाने के लिए आवश्यक है कि..

1. **स्वर–आधारित और क्षेत्रीय भाषाओं में अनुप्रयोग का विकास:** ग्रामीण और कम साक्षर आबादी की सहूलियत के लिए सभी प्रमुख वित्तीय प्रौद्योगिकी अनुप्रयोगों में प्रादेशिक व स्थानीय भाषाओं का सरल विकल्प होना चाहिए। इसके साथ ही, बोलकर काम करने वाले और स्वर–सहायक समर्थित इंटरफेस को बढ़ावा दिया जाना चाहिए ताकि निरक्षर या कम पढ़े–लिखे लोग भी आसानी से लेनदेन कर सकें।
2. **जमीनी स्तर पर डिजिटल वित्तीय साक्षरता अभियान:** केवल डिजिटल साधनों का वितरण पर्याप्त नहीं है। ग्राम पंचायतों, स्वयं सहायता समूहों और नागरिक सुविधा केंद्रों के माध्यम से गाँव–गाँव में 'डिजिटल वित्तीय साक्षरता शिविर' आयोजित किए जाने चाहिए। इन शिविरों में ग्रामीणों को व्यावहारिक रूप से अनुप्रयोगों का सुरक्षित उपयोग करना और ऑनलाइन ठगी से बचना सिखाया जाना चाहिए।
3. **सुदृढ़ और त्वरित साइबर सुरक्षा एवं शिकायत निवारण तंत्र:** आम नागरिकों के मन से ऑनलाइन धोखाधड़ी का डर समाप्त करने के लिए एक अत्यंत सरल, पारदर्शी और त्वरित शिकायत निवारण प्रणाली की स्थापना की

जानी चाहिए। यदि किसी व्यक्ति के साथ वित्तीय ठगी होती है, तो उसे त्वरित सहायता और मुआवजा मिलने की स्पष्ट व्यवस्था होनी चाहिए ताकि वित्तीय प्रणाली में उनका विश्वास बना रहे।

4. **ऑफलाइन एवं बिना इंटरनेट वाली भुगतान प्रणालियों का विस्तार:** जिन दूरस्थ, पहाड़ी या आदिवासी क्षेत्रों में नेटवर्क कनेक्टिविटी की समस्या बनी रहती है, वहाँ बिना इंटरनेट के काम करने वाली तकनीकों (जैसे सादे फोन–आधारित अनसंरचित पूरक सेवा डेटा/एकीकृत भुगतान इंटरफेस लाइट अथवा निकट क्षेत्र संचार/संपर्क–रहित कार्ड प्रणालियों) को विशेष प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए ताकि कनेक्टिविटी के अभाव में वित्तीय गतिविधियाँ बाधित न हों।

निष्कर्ष : उपर्युक्त अध्ययन के आधार पर यह कहा जा सकता है कि डिजिटल क्रांति ने भारत के वित्तीय परिदृश्य को ऐतिहासिक और मूलभूत रूप से परिवर्तित किया है। वित्तीय प्रौद्योगिकी ने पारंपरिक बैंकिंग प्रणालियों की भौतिक सीमाओं, उच्च परिचालन लागत और कागजी प्रक्रियाओं की जटिलताओं को समाप्त कर देश के सुदूर क्षेत्रों में रह रहे अंतिम व्यक्ति तक बैंकिंग सेवाओं की पहुँच को संभव बनाया है। एकीकृत भुगतान इंटरफेस, आधार–आधारित भुगतान प्रणालियों तथा जनधन खातों के सामंजस्य ने न केवल आम जनता को औपचारिक वित्तीय मुख्यधारा से जोड़ा है, बल्कि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण जैसी पारदर्शी व्यवस्थाओं के माध्यम से सामाजिक कल्याणकारी योजनाओं की प्रभावकारिता को भी अभूतपूर्व रूप से बढ़ाया है। हालांकि, शोध के निष्कर्ष यह भी उजागर करते हैं कि केवल डिजिटल मंच का उपलब्ध होना या खाता खोल देना ही पूर्ण वित्तीय समावेशन की गारंटी नहीं है। वास्तविक समावेशन की सिद्धि तब मानी जाएगी जब प्रत्येक नागरिक इन सेवाओं का उपयोग बिना किसी झिझक, तकनीकी बाधा या सुरक्षात्मक भय के कर सके। वर्तमान में डिजिटल वित्तीय साक्षरता की कमी, साइबर धोखाधड़ी का भय और सुदूर क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे से जुड़ी सीमाएं इस राह की मुख्य बाधाएं बनी हुई हैं। अंततः यह अध्ययन निष्कर्ष निकालता है कि भारत को एक पूर्णतः समावेशी और सक्षम डिजिटल अर्थव्यवस्था बनाने के लिए केवल तकनीकी प्रसार ही नहीं, बल्कि उपभोक्ता सुरक्षा, विश्वास और साक्षरता को केंद्र में रखकर आगे बढ़ना होगा।

स्रोत एवं संदर्भः

1. शर्मा, आर. एवं जोशी, पी. (2015). ट्रडिशनल बैंकिंग लिमिटेशंस एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन इन रूरल इंडिया. जर्नल ऑफ फाइनेंशियल स्टडीज, खंड 12, अंक 3, पृष्ठ 45–58.
2. रेड्डी, वी. के. (2016). मोबाइल बैंकिंग इन इमर्जिंग इकोनॉमीजः डिटर्मिनेंट्स एंड बैरियर्स. एशियन इकोनॉमिक रिव्यू, खंड 28, अंक 2, पृष्ठ 112–125.
3. कुमार, ए. एवं सिंह, एम. (2017). इवेलुएटिंग पीएमजेडीवाईः फ्रॉम अकाउंट ओनरशिप टू यूसेज. इंडियन जर्नल ऑफ इकोनॉमिक्स, खंड 98, अंक 388, पृष्ठ 201–218.
4. गुप्ता, एस. (2018). डिमोनेटाइजेशन एंड द इमर्जेंस ऑफ फिनटेक इकोसिस्टम इन इंडिया. इंटरनेशनल जर्नल ऑफ फाइनेंस एंड कॉमर्स, खंड 6, अंक 1, पृष्ठ 89–102.
5. मुखर्जी, टी. एवं दास, एस. (2019). आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम एंड लास्ट–माइल डिलीवरी ऑफ डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर्स. इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली, खंड 54, अंक 14, पृष्ठ 33–41.
6. वर्मा, एन. (2020). आर्किटेक्चरल डायनेमिक्स ऑफ यूपीआई एंड इट्स रोल इन माइक्रो–ट्रांजैक्शंस. जर्नल ऑफ पेमेंट सिस्टम्स एंड स्ट्रेटजी, खंड 14, अंक 4, पृष्ठ 310–324.
7. रॉय, ए. एवं चौधरी, आर. (2021). कोविड–19 एज अ कैटालिस्ट फॉर डिजिटल पेमेंट एडॉप्शन अमंग स्मॉल वेंडर्स. जर्नल ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स, खंड 33, अंक 2, पृष्ठ 175–190.
8. मिश्रा, एल. (2022). एम्पावरिंग रूरल विमेन थ्रु फिनटेक एंड सेल्फ–हेल्प ग्रुप्स. जेंडर, टेक्नोलॉजी एंड डेवलपमेंट, खंड 26, अंक 1, पृष्ठ 67–85.
9. पटेल, डी. एवं शाह, के. (2023). साइबर सिक्योरिटी रिस्क्स इन फिनटेक फाइनेंसड फाइनेंशियल इंक्लूजनः एन इंडियन पर्सपेक्टिव. जर्नल ऑफ साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी, खंड 9, अंक 3, पृष्ठ 215–230.
10. राव, बी. एस. (2024). बैंक–फिनटेक कोलैबोरेशनः द फ्यूचर ऑफ सस्टेनेबल फाइनेंशियल इंक्लूजन इन इंडिया. इंडियन बैंकिंग टुडे, खंड 41, अंक 1, पृष्ठ 12–27.
11. भारत का संविधान (1976). द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया (आर्टिकल–51ए फंडामेंटल ड्यूटीज). मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, 1976. पब्लिकेशन्स डिवीजन.

=====

आलेख उद्धरित करें :	यादव, डॉ. धर्मेन्द्र (2026)। भारत में वित्तीय प्रौद्योगिकी के माध्यम से वित्तीय समावेशन का विश्लेषणात्मक अध्ययन। बुंदेलखंड जर्नल ऑफ अकादमिक रिसर्च (बीजेएआर), वॉल्यूम–2, अंक–3, जुलाई–सितंबर, 2026, पृष्ठ 15–19। https://doi.org/10.5281/zenodo.23005530